ACT में बहुसंस्कृतिवाद की पहचान करने और इसे प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित नया कानून



ACT सरकार 2021 में ACT बहुसांस्कृतिक मान्यता अधिनियम (ACT Multicultural Recognition Act) नाम का एक नया कानून बनाने जा रही है। नया कानून ACT में बहुसंस्कृतिवाद के प्रति ACT सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। अब परामर्श खुला है और यह मई 2021 के आरंभ में समाप्त होगा।
परामर्श के उद्देश्य हैं:

- प्रस्तावित बहुसांस्कृतिक मान्यता अधिनियम के विकास के बारे में सामुदायिक जागरुकता बढ़ाना;
- सांस्कृतिक v भाषाई रूप से विविधतापूर्ण Canberrans के साथ काम करने वाले संगठनों को सूचित और संलग्न करना; और
- कानून के विकास के विषय पर सभी ACT निवासियों से प्रतिक्रिया और अंतर्दृष्टि प्राप्त करना।

नए कानून मेंतीन मुख्य तत्व शामिल होंगे। इन तथ्यों में एक बहुसांस्कृतिक चार्टर (Multicultural Charter), एक बहुसांस्कृतिक सलाहकार परिषद (Multicultural Advisory Council) और सरकार की प्राथमिकता हो निर्धारित करने व समुदाय को वापस सूचित करने के लिए एक ढांचा शामिल है। इनके बारे मेंनीचे समझाया गया है।

बहुसांस्कृतिक चार्टर (Multicultural Charter)

एक बहुसांस्कृतिक चार्टर (Multicultural Charter) विकसित किया जाएगा, जिसमें बहुसंस्कृतिवाद की नीति के समर्थन में आवश्यक 'प्रमुख सिद्धांत' रेखांकित किए जाएँ गे। सरकारों, व्यवसायों और समुदायों द्वारा इन प्रमुख सिद्धांतों का उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जा सकता है कि क्या हमारे ACT समुदाय में बहुसंस्कृतिवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है।

बहुसांस्कृतिक सलाहकार परिषद (Multicultural Advisory Council)

नए कानून मेंमंत्री द्वारा नियुक्त सामयिक बहुसांस्कृतिक सलाहकार परिषद (Multicultural Advisory Council) शामिल होगी। परिषद की भूमिका अनेक मुद्दों और विषयों पर ACT के बहुसांस्कृतिक मामले मंत्री (ACT Minister for Multicultural Affairs) को सलाह प्रदान करना है। परिषद केकार्यों और संरचना को एक परामर्श प्रक्रिया द्वारा सूचित किया जाएगा।

प्राथमिकता सेटिंग और रिपोर्टिंग फ्रे मवर्क

नया कानून ACT समुदाय के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं की प्राथमिकताएँतय करने, नीतियों का विकास, वितरण और आकलन करने के लिए किया जाएगा, ACT सरकार और उसकी एजेंसियों का मार्गदर्शन करेगा। यह भी उम्मीद है कि नए कानून डब्ल्यूबीमार एजेंसियोंको सहमत प्राथमिकताओंको लागू करने केलिए अपनी पहलों पर सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।

आप कैसे शामिल हो सकते/सकती हैं तथा और अधिक पता लगा सकते/सकती हैं

www.communityservices.act.gov.au/multicultural/multicultural-recognition पर जाएँऔर एक सामुदायिके परामर्श कार्यशाला में भाग लेने क लिए रजिस्टर करें

किसी भी परश्न केलिए multiculturalaffairs@act.gov.au पर ईमेल भेजें

वेबसाइट www.yoursay.act.gov.au/multicultural-recognition-act पर उपलब्ध सर्वेक्षण पूरा करें

ACT में बहुसंस्कृतिवाद की पहचान करने और इसे प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित नया कानून



परामर्श के लिए मसौदा ACT बहुसांस्कृतिक चार्टर

ACT पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन बहुसांस्कृतिक समुदायों में से एक बनने का प्रयास कर रही है।

हम अपने प्रथम राष्ट्र के लोगों को मान्यता देते हैं, और उनकी विरासत, संस्कृति और ACT व क्षेत्र में उनके द्वारा निरंतर दिए जाने वाले योगदान का सम्मान करते हैं। हम सुलह को बढ़ावा देते हैं और यह मानते हैं कि यह भूमि आदिवासी भूमि थी और हमेशा आदिवासी भूमि रहेगी।

हम ACT के सभी निवासियों को महत्व देते हैं, और हम सभी अपने राज्य-क्षेत्र को निवास के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और सम्मानजनक स्थान बनाने की दिशा में योगदान दे सकते हैं, जहाँ हम एक-दूसरे के बारे में सीखकर और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपनी मानवता को साझा करने में आनंदित महसूस कर सकें।

हम ऐसा मानते हैं कि समावेशी और सम्मानजनक ACT समाज को बढ़ावा देने में हम सभी को अपने कार्यस्थलों व संगठनों के माध्यम से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी-अपनी भूमिकाएँ निभानी है।

हम सभी इनमें से हरेक साझा सिद्धांत की पहचान करते हैं:

- ऑस्ट्रेलिया और ACT के प्रति एक साझा प्रतिबद्धता;
- कानून के शासन के प्रति एक साझा प्रतिबद्धता;
- सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता को व्यक्त करने की स्वतंत्रता;
- पृष्ठभूमियों की परवाह किए बिना परस्पर सम्मान; और
- समान रूप से प्रतिभाग की सुगमता।

हम एक बहुसांस्कृतिक समुदाय के रूप में इन तरीकों से बहुसंस्कृतिवाद को समर्थन देना जारी रखेंगे:

- सेवाओं को बहुसांस्कृतिक समुदाय के लिए सुलभ और जवाबदेह बनाना;
- सक्रिय नागरिकता, प्रतिभाग और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना;
- सांस्कृतिक विविधता के लाभ उठाना;
- अपने संगठनों, एजेंसियों और संस्थानों के बेहतरीकरण के अवसर पैदा करना, ताकि वे बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांत और सांस्कृतिक विविधता के लाभों को अंगीकृत, प्रोत्साहित और उद्वेलित कर सकें; और
- अपने विविधतापूर्ण बहुसांस्कृतिक समुदायों को विकसित करना और सक्रिय रूप से हमारे बेहतरीन नगर में योगदान देने के लिए समर्थन देना।

मुख्य प्रश्न:

1. **क्या हमारे ACT बहुसांस्कृतिक चार्टर में शामिल किया जाना चाहिए?**
2. **यह चार्टर ACT के आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी निवासियों के लिए समावेशी कैसे होना चाहिए?**
3. **क्या उपरोक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त ACT चार्टर में शामिल करने के लिए कोई अन्य विचारयोग्य सिद्धांत भी हैं?**
4. **हमें एक समुदाय के रूप में अपने लिए क्या महत्वाकांक्षाएँ और/या उम्मीदें नियत करनी चाहिए?**

ACT में बहुसंस्कृतिवाद की पहचान करने और इसे प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित नया कानून



ACT बहुसांस्कृतिक सलाहकार परिषद के संभावित वैधानिक कार्य

ACT बहुसांस्कृतिक सलाहकार परिषद का कार्य मंत्री को इन मुद्दों पर सलाह देना है:

- सांस्कृतिक और विविधतापूर्ण पृष्ठभूमियों से आने वाले Canberrans के लिए ACT में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और नागरिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के उद्देश्य से अवसर बढ़ाने और अवरोधों को कम करने के तरीके;
- ACT में बहुसांस्कृतिक समुदायों को सरकारी सेवाओं के वितरण के तरीकों में सुधार;
- ACT के विविधतापूर्ण बहुसांस्कृतिक समुदायों की आवश्यकताएँ निर्धारित करने के लिए आवश्यक परामर्श;
- प्रवासी समुदायों, विशेष रूप से शरणार्थियों और संरक्षण की खोज करने वाले लोगों के लिए ACT समुदाय में एकीकरण से संबंधित आवश्यकताओं और उनके एकीकरण में सुधार के अवसरों की पहचान;
- ACT और इसके आस-पास के क्षेत्रों के बीच सामंजस्यपूर्ण सामुदायिक संबंधों को प्रोत्साहन; और
- मंत्री के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य-कलाप।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि परिषद:

- समुदाय की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक निकायों और प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगी।

मुख्य प्रश्न:

1. **बहुसांस्कृतिक सलाहकार परिषद के क्या कार्य होने चाहिए?**

ACT में बहुसंस्कृतिवाद की पहचान करने और इसे प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित नया कानून



ACT बहुसांस्कृतिक सलाहकार परिषद की संभावित संरचना

- परिषद में 9 से 11 सदस्य शामिल होंगे
- सदस्यों की नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष के लिए की जाए
- नियुक्ति की अवधियों को विषम बनाया जाए, जिसमें हरेक 18 महीनों में आधे सदस्यों की सदस्यता का नवीकरण शामिल हो
- परिषद के सदस्य संभावित रूप से 2 वर्षों से अधिक अवधि के लिए निरंतर कार्य न कर सकें
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पारिश्रमिक दिया जाए, जिसकी राशि का निर्धारण ACT पुनर्गणना न्यायाधिकरण (ACT Renumeration Tribunal) द्वारा किया गया हो
- 5 वर्षों के कार्यान्वयन के बाद कानून की समीक्षा की जाए
- मंत्री द्वारा परिषद की सदस्यता को विनियमानुसार रेखांकित किया जाए। मंत्री सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लिंग, आयु और समकालीन मुद्दों में विशेषज्ञता-प्राप्त व्यक्तियों के मिश्रण जैसे कारकों पर विचार करें। मंत्री निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञता-प्राप्त प्रतिनिधियों पर विचार कर सकते हैं:
  - उभरते हुए समुदाय
  - प्रवासियों का व्यवस्थापन
  - सामुदायिक और नस्लीय संबंध
  - भाषा-संबंधी सेवाएँ
  - दुभाषिए और अनुवादक
  - नेतृत्व
  - व्यवसाय
  - सामुदायिक भाषाओं के स्कूल
  - सामुदायिक विकास
  - समुदाय प्रतिनिधि निकाय
  - आस्था समूह
  - युवा वर्ग
  - कलाएँ और संस्कृति
  - अंतरपीढ़ीगत और बहु-नस्लीय

मुख्य प्रश्न:

1. **बहुसांस्कृतिक सलाहकार परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की अवधि क्या होनी चाहिए?**
2. **परिषद के किसी सदस्य के सेवाकाल या सेवा के वर्षों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए?**
3. **क्या मैक (MAC) की बैठकों के बाद सारांश को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जानाचाहिए?**
4. **परिषद की संरचना में किस प्रकार की विशेषज्ञता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यदि कोई हो तो?**
5. **क्या ACT में मैक (MAC) के प्रशासन को विकसित करते समय कोई अन्य विचारणीय मुद्दे हैं?**

सुगमता

ACT सरकार अपनी जानकारी, सेवाओं, आयोजनों और स्थलों को यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

यदि आपको मानक आकार में प्रकाशित दस्तावेज पढ़ने में कठिनाई होती है और आप इस प्रकाशन को बड़े प्रिंट या ऑडियो जैसे **वैकल्पिक प्रारूप** में प्राप्त करना चाहते/चाहती हैं, तो कृपया **(02) 6205 0282** पर फोन करें।

यदि आपकी प्रथम भाषा अंग्रेज़ी नहीं है तथा आपको **अनुवाद और दुभाषिया सेवाओं** की आवश्यकता है – तो कृपया **131 450** पर फोन करें।

यदि आप बधिर हैं या आपको सुनने में कठिनाई होती है और आपको **राष्ट्रीय रिले सेवा** की आवश्यकता है, तो **133 677 पर फोन करें और फिर 133 427** पर संपर्क कराने के लिए निवेदन करें।